सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 113/2017 अपील (RCMS/2017/00104)
पंजीयन दिनांक – 05.09.2017
निर्णय दिनांक – 20.08.2018

1. श्रीमती ढऊ बाई पुत्री श्री लिम्बा भील, निवासी आम्बाकला, तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती भूरी बाई पत्नि श्री देवा भील (गमेती), निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती कमला पुत्री श्री देवा भील (गमेती), निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती रामु देवी पत्नि श्री मनोहरलाल गमेती, निवासी 295, रोशनजी की बाड़ी, मगरीवाला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्टस्

4. मु. रूपा पुत्री श्री लिम्बा भील (गमेती) पत्नि श्री रोडाजी, निवासी आम्बाकला, तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
5. तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।

– फोरमल रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा – वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का प्रकरण संख्या 22/2015 निर्णय दिनांक 05.06.2017

निर्णय

दिनांक 20.08.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का प्रकरण संख्या 22/2015 निर्णय दिनांक 05.06.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्रीमती ढऊ बाई द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत की कि ग्राम तितरड़ी, तहसील गिर्वा के आराजी न. 2214 रकबा 0.1100 व आराजी नम्बर 2215 रकबा 0.1200 हैक्टेयर भूमि में से 0.0480 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 के पति तथा रेस्पोडेंट संख्या–2 के पिता पूर्व में विक्रय कर चुके है। जिसके नये नम्बर 3479/2214 बने तथा आराजी नम्बर 2215 का शेष रकबा 0.0720 भूमि श्री लिम्बा पिता जालमा भील के नाम दर्ज थी तथा इसी के साथ अन्य आराजीयात की भूमि आराजी नम्बर 3479/2215, रकबा 0.0480, आराजी नम्बर 2239 रकबा 0.2100 व आराजी नम्बर 2241 रकबा 0.0050, आराजी नम्बर 2243 रकबा 0.0550 भी दर्ज थी जो कि लिम्बा के पुत्र देवा जो अपीलान्ट का भाई था, ने अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दी है। लिम्बा का स्वर्गवास हो चुका है। लिम्बा के तीन सन्तानें हुई जिसमें देवा पुत्र, रूपा पुत्री व ढऊ पुत्री है। देवा के कोई पुत्र नहीं हुआ केवल मात्र एक पुत्री कमला हुई एवं उसकी पत्नि भूरी बाई है। अधीनस्थ न्यायालय ने लिम्बा के मरने के बाद जो नामान्तरकरण संख्या 349 पारित किया गया, के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय में अपील के लम्बित रहते रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 ने वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या–3 को विक्रय कर दी। इस विक्रय से जो नामान्तरकरण संख्या 5488 खोला गया, के विरूद्ध अपीलान्ट ने अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर ने निर्णय दिनांक 05.06.2017 में निम्नांकित कथन कहते हुए उक्त अपील अस्वीकार की–

> ''न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण सख्या 349 दिनांक 12.01.1993 के विरूद्ध की गई अपील को भी खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है। वर्तमान में राजस्व अभिलेख में भूमि अपीलार्थी के भाई देवा के वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होकर उनके द्वारा 3 को विक्रय कर दी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के प्रथम श्रेणी के वैध उत्तराधिकारी होने के कारण उन्हें विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था। अपीलार्थी द्वारा जो भी कथन अपनी अपील में किये है वे ही कथन न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 44/14 अपील राजस्व रूपा बनाम भुरीबाई में भी किये गये है। न्यायालय में विचाराधीन अपील प्रकरण

संख्या 44/14 निरस्त की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में यह विचाराधीन अपील भी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।"

उक्त निर्णय से व्यथीत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस दिनांक 10.07.2018 एवं 13.08.2018 को सूनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि आराजी नम्बर 2215 का शेष रकबा 0.0720 भूमि श्री लिम्बा पिता जालमा भील के नाम दर्ज थी तथा इसी के साथ अन्य आराजीयात की भूमि आराजी नम्बर 3479/2215, रकबा 0.0480, आराजी नम्बर 2239 रकबा 0.2100 व आराजी नम्बर 2241 रकबा 0.0050, आराजी नम्बर 2243 रकबा 0.0550 भी दर्ज थी जो लिम्बा के अकेले पुत्र जो कि अपीलान्ट का भाई था, चुपके चुपके म्यूटेशन कराकर अपने नाम दर्ज करा ली तथा जब जमीन बेचने लगा तो अपीलान्ट ने कहा कि इसमें मेरा भी हिस्सा है, आप अकेले बेच नहीं सकते है। इस पर अपीलान्ट ने तुरन्त पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने कहा कि आपके पिताजी के स्वर्गवास होते ही देवा ने चुपके चुपके कथित भूमि का म्यूटेशन अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया तथाकथित म्यूटेशन खोलने से पहले न तो अपीलान्ट को सूचना दी, न अपीलान्ट को सुना ही गया इस कारण सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होकर काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय में लिम्बा के मरने के बाद जो नामान्तरकरण संख्या 349 पारित किया गया, के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय में अपील के लम्बित रहते रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 ने वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या–3 को विक्रय कर दी। इस विक्रय से जो नामान्तरकरण संख्या 5488 खोला गया, के विरूद्ध अपीलान्ट ने अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि मूल अपील निरस्त की जाती है, यह आदेश बिल्कुल गलत व कानून के विपरित है। उक्त नामान्तरकरण में लिम्बा के पुत्रियों का नाम भी विरासत से दर्ज किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। उक्त जमीन देवा की जमीन रेस्पोडेट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोंडट संख्या 3 को विक्रय कर नामान्तरकरण खुलवा लिया गया, जिसकी जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अन्त में अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील यह कहते हुए खारीज की है कि उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 44/2014 में प्रदत निर्णय दिनांक 05.06.2017 से नामान्तकरण संख्या 349 दिनांक 12.01.2013 के विरूद्ध अपील को खारिज किया जा चुका है, अतः विचाराधीन अपील भी खारिज की जाती है।

उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 44/2014 निर्णय दिनांक 05.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत की गई, जिसका प्रकरण संख्या 114/2017 है। उक्त प्रकरण इस न्यायालय द्वारा मयाद कण्डोन करते हुए, पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने हेतु जिला कलक्टर, उदयपुर को प्रतिप्रेषित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 22/2015 में प्रस्तुत अपील को मूल अपील खारिज किये जाने के आधार पर अस्वीकार किया गया, जो पूर्णतया विधि सम्मत होना प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में अभिलेख पर उपलब्ध सभी तथ्यों एवं दस्तावेजों के पूर्ण विवेचन एवं तथ्यों का विश्लेषण किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण मयाद कण्डोन करते हुए गुणावगुण पर तय करने हेतु पुनः जिला कलक्टर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला कलक्टर, उदयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में मयाद कण्डोन करते हुए, पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर